

21/3/25

श्रीमान जिला कलेक्टर भोपाल, भीलवाड़ा के आदेश  
क्रमांक न्यायालय विधि 2025 / 42033 दिनांक  
13-03-2025 की प्राप्ति में न्यायालय अधिनियम  
अधिनियम भीलवाड़ा को पत्रावली उपस्थान  
कारण कागुवा न्यायालयित होकर न्यायालय  
पत्रावली कलेक्टर भोपाल में प्राप्त हुई है पत्रावली  
प्राप्ति / प्राप्ति सं / 15/25 श्रीमान जिला कलेक्टर  
को न्यायालय को आवेदनपत्र पर कारागार की सुनवाई  
89 दिनांक 24/6/25 को पत्रा हो

सहायक कलेक्टर  
भीलवाड़ा

23/6/25

श्रीमान जिला कलेक्टर के आदेश क्रमांक न्याय / विधि / 2025 / 42033 दिनांक 13/2/25  
न्यायालय अधिनियम अधिनियम भीलवाड़ा में विधायक राजस्थान कानूनकारी अधिनियम 1956 की प्राप्ति  
क्रमांक 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112 के अन्तर्गत विधायक तहतोल सवाईपुर की पत्रावलीया अंतरित  
होकर बास्ते सुनवाई प्राप्त हुई है। उक्त प्रकरणों में समस्त पत्रावली को बास्ते सुनवाई लालच किने  
जाकर कार्यवाही की जाती है। न्यायालय अधिनियम अधिनियम भीलवाड़ा को अंतरित उक्त पत्रावलीया  
का सम्यक रूप से निस्तारण किये जाने हेतु एवं अनधिकृत राजस्थान कानूनकारी अधिनियम 1956 की  
धारा 216 (2) में प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए अधिनियम किया जाता है कि उक्त समस्त पत्रावलीया  
में त्वरित न्याय प्रदान किये जाने एवं सुनवाईपूर्ण निस्तारण किये जाने हेतु केम कोर्ट दिनांक 23/6/25  
तक Sauvegarde पेश हुई। पत्रावली उपस्थित / अनुपस्थित पत्रावली बास्ते सुनवाई  
दिनांक 17/7/25 को पत्र हो।

सहायक कलेक्टर भीलवाड़ा

17/7/25

*(Handwritten signature)*

पत्रावली पेश हुई। वादी आदिवरण उपर।  
वादी आदिवरण द्वारा वाद प्रारंभ की आधीवीडा  
के ~~कोई~~ Not Pross मंकीन करने हुए कोई  
कार्यवाही नहीं करने का निवेदन किया  
है। वादी आदिवरण द्वारा वाद प्रारंभ में  
कोई कार्यवाही नहीं करने का मेकन किये  
वाले हैं वादी द्वारा वाद प्रारंभ में कोई  
कार्यवाही मंकीन नहीं है। वादी द्वारा वाद प्रारंभ  
वादा अन्तर्गत धारा 53, 88 राजस्थान  
कायदाकारी आधीवीडा खाविज किया जाता  
है। निष्पत्ति अवे इफलास सुनवाई गमा। पत्रावली  
मौतल सुमार होकर वादील कलेक्टर को न्याय  
रुक्तर से कम हो।

सहायक कलेक्टर  
भीलवाड़ा